

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 14.09.2024 को जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमान जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, व श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना मुहम्मदाबाद में उपस्थित रह जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कुल 16 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

चोरी की एक अदद मोटरसाईकिल के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 13.09.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अहिरानी बुजुर्ग रेलवे अण्डर पास के पास से मु0अ0सं0 189/24 धारा 303(2) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्त सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण पुत्र सुरेन्द्र त्रिपाठी निवासी थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेण्डर (यूपी54एएन3246) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण पुत्र सुरेन्द्र त्रिपाठी निवासी थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेण्डर (यूपी54एएन3246)।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 31/22 धारा 379,411 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 266/22 धारा 379, 411 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 298/22 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 307/21 धारा 323,504,506 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 556/21 धारा 379,411 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 126/22 धारा 120बी, 392,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 132/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
8. मु0अ0सं0 186/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
9. मु0अ0सं0 78/24 धारा 323,427,504,506 भादवि थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

पॉक्सो एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.09.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चकभदसा मानोपुर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 244/24 धारा 70(2), 127(2), 331(4), 351(2) बीएनएस व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तगण रफिक पुत्र वकिल, एजाजुलहक पुत्र एनुलहक, अब्दुल नादीर पुत्र इस्तेयाक अहमद निवासीगण चकभदसा मानोपुर मठिया थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. रफिक पुत्र वकिल अहमद निवासी चकभदसा मानोपुर मठिया थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
2. एजाजुलहक पुत्र एनुलहक अहमद निवासी चकभदसा मानोपुर मठिया थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. अब्दुल नादीर पुत्र इस्तेयाक अहमद निवासी चकभदसा मानोपुर मठिया थाना कोपागंज जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

प्र0नि0 नवल किशोर सिंह थाना कोपागंज, उ0नि0 हरिकेश, उ0नि0 विकास, उ0नि0 कैलाश जायसवाल, का0 संदीप कुमार, का0 अवधेश कुमार, का0 शिवबचन यादव, का0 विजय विश्वकर्मा थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर इन्द्रनगर चट्टी मझवारा के पास से मु0अ0सं0 412/24 धारा 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुफियान पुत्र सौकत अली निवासी परसाताल थाना उभाव जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

दहेज हत्या मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.09.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वलिदपुर से मु0अ0सं0 307/24 धारा 85,80(2) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण रविलाल सोनकर, रामजीत सोनकर पुत्रगण रामनाथ सोनकर निवासीगण वलिदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. रविलाल सोनकर पुत्र रामनाथ सोनकर निवासी वलिदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
2. रामजीत सोनकर पुत्र रामनाथ सोनकर निवासी वलिदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।